भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3049
13 दिसम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

अमृतसर में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री

3049. श्री गुरजीत सिंह औजला:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अमृतसर, जो कि एक बड़ी आबादी वाला एक महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्र है और जहां पर्यटकों और तीर्थयात्रियों का लगातार आगमन होता है, में मिलावटी मिठाइयों और खाद्य उत्पादों की बड़े पैमाने पर बिक्री से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है;
(ख) क्या बाजारों में, विशेषकर त्यौहारों के मौसम में, जब मिलावट चरम पर होती है, बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का नियमित निरीक्षण और निगरानी करने के लिए कोई विशिष्ट दिशानिर्देश हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने देश में खाद्य नमूनों का त्वरित और कुशल परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए समर्पित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए संसाधन आवंटित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार की नागरिकों को मिलावटी खाद्य पदार्थों के सेवन के खतरों और ऐसे उत्पादों की पहचान करने के तरीकों के बारे में शिक्षित करने के लिए जन जागरूकता अभियान शुरू करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट और इस शहर की पर्यटन और तीर्थस्थल के रूप में प्रतिष्ठा को बचाने के लिए अमृतसर जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में कोई विशेष योजना शुरू करने पर विचार किए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) देश भर में उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस दिशा में, एफएसएसएआई राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों और अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा और मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 और उसके तहत बनाए गए विनियमों के तहत निर्धारित गुणवत्ता और सुरक्षा मापदंडों और अन्य आवश्यकताओं के अनुपालन की जांच के लिए विभिन्न खाद्य उत्पादों की नियमित निगरानी, निरीक्षण और यादृच्छिक रूप से नमूना चयन करता है। ऐसे मामलों में जहां खाद्य नमूने अनुरूप

नहीं पाए जाते हैं, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार दोषी खाद्य व्यवसाय संचालकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।

साथ ही, एफएसएसएआई त्योहारी सीजन के शुरू होने से पहले और उसके आसपास विशेष उत्सव अभियान चलाता है। इन विशेष अभियानों के तहत, विशेष रूप से त्योहारी सीजन के दौरान मिलावट की संभावना वाले खाद्य उत्पादों विशेषकर दूध और दूध से बने उत्पादों जैसे घी, खोया, पनीर और मिठाइयों का यादृच्छिक रूप से नमूना लिया जाता है। ये अभियान आसूचना इनपुट, पिछले नमूने और विश्लेषण इतिहास, शिकायतों और स्थानीय मीडिया सहित विभिन्न चैनलों की रिपोर्टों के माध्यम से पहचाने गए मिलावट के संदिग्ध हॉटस्पॉट में चलाए जाते हैं।

इसके अलावा, भोजन की गुणवत्ता के नियमित निरीक्षण और निगरानी के लिए, एफएसएसएआई ने खाद्य परीक्षण पारिस्थितिकी को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय और तकनीकी सहायता भी प्रदान की है जिसमें नवीनतम और बुनियादी उपकरणों की खरीद, माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला की स्थापना और आकस्मिकताओं व्यय का प्रबंधन, मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं, जनशक्ति, राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) मान्यता आदि शामिल हैं।

खाद्य परीक्षण पारिस्थितिकी को सुदृढ़ करने के लिए एफएसएसएआई ने पंजाब राज्य को 2016-2024 तक कुल 23.56 करोड़ रुपये का अनुदान मंजूर किया है। एफएसएसएआई ने पंजाब राज्य के लिए 23 मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की भी मंजूरी दी है। ये मोबाइल प्रयोगशालाएं विभिन्न खाद्य पदार्थों के मिलावट का पता लगाने के लिए तीव्र गुणात्मक परीक्षण के लिए आधारभूत अवसंरचना से लैस है। मोबाइल प्रयोगशालाओं का प्रयोग पूरे राज्य में प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एक प्लेटफार्म के रूप में भी किया जाता है। पंजाब राज्य में तैनात मोबाइल खाद्य प्रयोगशालाओं ने कुल 20276 निगरानी परीक्षण, 1030 जन जागरूकता कार्यक्रम और विभिन्न हितधारकों के लिए 156 प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए है।

एफएसएसएआई ने उपभोक्ताओं, खाद्य उद्योग और नागरिकों के बीच खाद्य सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित पहलों को लागू किया है:-

i. **वेबसाइट और सोशल मीडिया**: एफएसएसएआई की वेबसाइट और सोशल मीडिया पेज खाद्य सुरक्षा से संबंधित मानकों/विनियमों/एडवाइज़री और उपभोक्ताओं के लिए व्यावहारिक सुझाव देते हुए घर पर खाद्य मिलावट का पता लगाने के बारे में सुलभ जानकारी प्रदान करते हैं।

ii. **मिलावट संबंधी वीडियो**: एफएसएसएआई ने वीडियो की एक श्रृंखला बनाई है जो आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले खाद्य पदार्थों में मिलावट की पहचान करने के तरीकों को वीडियों से प्रदर्शित करती है। ये एफएसएसएआई के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं और समय-समय पर इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक जैसे विभिन्न अन्य मीडिया प्लेटफार्मों पर भी प्रचारित किए जाते हैं और विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों और अभियानों में दिखाए जाते हैं।

iii. 'डीएआरटी' बुक जैसे संसाधन घर पर खाद्य मिलावट का पता लगाने के लिए सरल परीक्षण प्रदान करते हैं।

iv. **खाद्य सुरक्षा मैजिक बॉक्स**: यह शैक्षिक टूलकिट स्कूली छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें खाद्य मिलावट का पता लगाने हेतु उपयोग में आसान परीक्षण शामिल हैं, जो छात्रों को खाद्य सुरक्षा के बारे में सीखने के लिए एक इंटरैक्टिव और आकर्षक तरीके से काम करता हैं।

v. खाद्य सुरक्षा ऑन व्हील्स या मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुँचने और खाद्य परीक्षण करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए तैनात की जाती हैं।

vi. **शिक्षकों/छात्रों के लिए खाद्य सुरक्षा गाइडबुक**: पाठ योजना पुस्तिका में खाद्य मिलावट पर विभिन्न परीक्षण करने के तरीके के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। ये परीक्षण विशेष ग्रेड के पाठ्यक्रम के लिए तैयार किए गए हैं।

*****